राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

रूप सिंह बनाम राजस्थान राज्य।
(एकलपीठ दाण्डिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-11013/2012)

30.11.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री अनिल उपमन, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री पीयुष कुमार, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी द्वारा यह जमानत का प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि अभियोजन साक्षी रामरूप पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है।उनका यह भी तर्क है कि सह अभियुक्त की जमानत हो चुकी है तथा प्रार्थी का प्रकरण सह-अभियुक्त के प्रकरण से भिन्नता नहीं रखता। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा प्रकरण के निस्तारण में समय लगना सम्भावित है। अत: प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त किये बिना मैं प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए प्रार्थी को समुचित जमानत राशि पर जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित समझता हूं।

परिणामत: प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी रूप सिंह पुत्र गणपत आरक्षी केन्द्र,सरमथुरा जिला- धौलपुर पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या- 31/2006 में विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 50,000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व 25,000/-रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार) राशि की दो सुदृड़

एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा एवं यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे उक्त प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

"All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed"

Mahesh Chandra Sharma

P. S.